

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com

Telefax:05942-236790

पत्रांक:- 2760 / 9-5-1 दिनांक 24/01 / 2019

सेवा में

श्री सतेन्द्र कुमार तोमर,
पुत्र श्री तेज सिंह तोमर,
ग्राम बमोरी, तल्लीखाम, तहसील हल्द्वानी,
जिला नैनीताल।

विषय :-

श्री सतेन्द्र कुमार तोमर, पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, ग्राम बमोरी, तल्लीखाम तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के खसरा संख्या 2519(अ) खतीनी संख्या - 37 ग्राम-भोसा तहसील नैनीताल जिला नैनीताल उत्तराखण्ड में 1,32,000 टी०पी०ए० रेटा, बजरी एवं बोलहर के दुगान हेतु आवेदन।

संदर्भ :-

आपका आवेदन पत्र दिनांक रटिल।

महोदय

आपके विषयगत प्रकरण में इस वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी बढौन से खोज कराई गई। वन क्षेत्राधिकारी बढौन ने अपने पत्रांक 146/9-2-1 दिनांक 21.01.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदित खसरा संख्या 2519(अ) खतीनी संख्या- 37 ग्राम भोसा की भूमि NZA 10(1) जल्मान भूमि है जो बेनाप भूमि के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

आप द्वारा मागी गई सूचना बिन्दुवार वन क्षेत्राधिकारी द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित की गई।

- 1- आवेदित स्थल वन्य जीव अभ्यारण्य नन्दौर से 10 किमी० से अधिक क्षैतिज दूरी पर स्थित है।
- 2- आवेदित स्थल बेनाप जलमग्न भूमि है जो कि आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा से 100मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

संख्या-

दिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, भुक्तेश्वर नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी बढौन, को उनके पत्रांक 146/9-5-1 दिनांक 21-1-2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 5139/30 जी०जी०/2011-12
 दिनांक 13 मार्च 2012 के अनुपालन में ग्राम-भोली जिला तटशील नैनीताल
 राजस्व खनिज क्षेत्र के खसरा संख्या 2519 अ खंवा 31.665 हेक्टे के
 मध्ये 4.00 हेक्टेपर खनन क्षेत्र का निरीक्षण आज दिनांक 21 मार्च 2012
 को उपरवाजे निरीक्षण समिति के सदस्यो प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त
 रूप से किया गया। निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि उक्त क्षेत्र
 में अच्छी गुणवत्ता का R.B.M. उपरवाजे मारी मात्रा उपलब्ध
 है। उक्त खनन योग्य क्षेत्र आरक्षण का वूम से 100 मीटर की दूरी
 से अधिक पर है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू
 नहीं होता है। उक्त क्षेत्र में खनन करने से पर्यावरण संतुलन पर
 विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त क्षेत्र के उत्तर में जमरानी मोटर मार्ग
 ठामीयाँ गांव तोरु आना पश्चिम की ओर गौला नदी पूर्व में
 ओर जमरानी मोटर मार्ग एवं ग्राम भोली दक्षिण की ओर ग्राम
 बांसीला जाजा स्थित है वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया
 गया कि मा० सर्वोच्च न्यायालय की रिट पीपीशन संख्या
 2833/2002 रामकृष्ण विवेकानंद सेवा ड्रम ट्रस्ट बनाम
 उत्तराखण्ड सरकार व अन्य में पारित निर्णय को भी संज्ञान
 में लिया जाय। उक्त क्षेत्र में सिन्हाई विभाग के प्रतिनिधि
 द्वारा बताया गया कि कोई गूल आदि नहीं है।

उक्त क्षेत्र तक पहुंच मार्ग उपलब्ध है जिससे
 उपरवाजे की परिवहन करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
 खनन योग्य क्षेत्रफल का खसरा मानचित्र में लाल रंग
 से दर्शाया गया है। अतः उक्त क्षेत्र में राजस्व एवं रोजगार स्तंभ
 में ह्रास को दधान में रखते हुए खनन करने में संलग्न सीमांत

जिलाधिकारी नैनीताल
 उपरवाजे निरीक्षण समिति के सदस्यो प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
 निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि उक्त क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता का R.B.M. उपरवाजे मारी मात्रा उपलब्ध है।
 उक्त खनन योग्य क्षेत्र आरक्षण का वूम से 100 मीटर की दूरी से अधिक पर है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं होता है।
 उक्त क्षेत्र में खनन करने से पर्यावरण संतुलन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 उक्त क्षेत्र के उत्तर में जमरानी मोटर मार्ग ठामीयाँ गांव तोरु आना पश्चिम की ओर गौला नदी पूर्व में ओर जमरानी मोटर मार्ग एवं ग्राम भोली दक्षिण की ओर ग्राम बांसीला जाजा स्थित है वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मा० सर्वोच्च न्यायालय की रिट पीपीशन संख्या 2833/2002 रामकृष्ण विवेकानंद सेवा ड्रम ट्रस्ट बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य में पारित निर्णय को भी संज्ञान में लिया जाय।
 उक्त क्षेत्र में सिन्हाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कोई गूल आदि नहीं है।
 उक्त क्षेत्र तक पहुंच मार्ग उपलब्ध है जिससे उपरवाजे की परिवहन करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
 खनन योग्य क्षेत्रफल का खसरा मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है। अतः उक्त क्षेत्र में राजस्व एवं रोजगार स्तंभ में ह्रास को दधान में रखते हुए खनन करने में संलग्न सीमांत

संयुक्त निरीक्षण आख्या

कार्यालय अधिमान संयुक्त मजिस्ट्रेट / उपनिष्ठाधिकारी मधोदर नैनीताल के पद
 संख्या 1412/आ.स. / 2016 दि. 17.2.2016 के अनुपालन में ग्रामभरसा के खसरा
 नं. 2519 आ मध्ये खसरा 8.000 हेक्टेर भूमि का सीमांकन शजसु विभाग व
 विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा आज दि. 19.2.2016 को किया गया, जो मध्य
 सुबन्धक कुमाऊँ सण्डल विकास निगम ओरु पार्क हाउस नैनीताल का प्रस्ता
 क्षेत्र है, उक्त क्षेत्र के पूर्व की ओर जमरानी गेट मार्ग, पश्चिम में ग्राम रं
 की सीमा, उत्तर में प्रवीण चौधरी का पट्टा स्थल तथा दक्षिण में गौरी नदी ए
 ग्राम रौमिल की सीमा है, उक्त प्रस्तावित स्थल से वन विकास ^{अपेक्षा} की सीमा 2500
 है।

अंतः संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्रवाई हेतु संस्कृति सचिव प्रेषित

संयुक्त मजिस्ट्रेट
 उ. उ. उ. य. य. य.
 नं. 10

डि.
डे. डे. डे. डे.
 नं. 10

डि.
डी. डी.
 (हरिदास नैनीताल)
 वन दफ्तर
 प. 8. 8. 8. 8. 8.